

प्रपत्र-12
(देखें नियम 42)
नाम निर्देशन का प्रपत्र
नाम निर्देशन पत्र

5/19
12:12 PM
23/09/22

*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत से वार्ड संख्या 19 से पार्षद
*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत से उप मुख्य पार्षद
*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत से मुख्य पार्षद
मैं (प्रस्तावक का नाम) *नगर निगम/
*नगर परिषद/*नगर पंचायत के उपर्युक्त पद के लिए
निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ
अभ्यर्थी का नाम
पिता / मर्ता / पति का नाम
उम्र पता
अभ्यर्थी का नाम वार्ड संख्या की मतदाता सूची के क्रमांक पर दर्ज है।
प्रस्तावक का नाम
प्रस्तावक का नाम वार्ड संख्या की मतदाता सूची के क्रमांक पर दर्ज है
प्रस्तावक का हस्ताक्षर
समर्थक का नाम
समर्थक का नाम वार्ड संख्या की मतदाता सूची के क्रमांक पर दर्ज है।
समर्थक का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

आशा देवी

तिथि :- 23/9/22

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक 5/19

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय (स्थान का नाम) में दिनांक को बजे पूर्वाह्न/अपराह्न अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि- 23/09/22

निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-क
मतदाता होने की घोषणा

आशा देवी पिता/पति उम्र ५२ वर्ष
 *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत के वार्ड संख्या १९
 थाना जिला बिहार का निवासी हूँ, घोषणा करता/करती हूँ-
 कि मेरा नाम *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत के वार्ड संख्या १९
 की मतदाता सूची के क्रमांक ६५०७ पर दर्ज है तथा इसके अलावे इस नगरपालिका के किसी अन्य वार्ड
 की मतदाता सूची में मेरा नाम अंकित नहीं है। यह भी कि राज्य या राज्य के बाहर के अन्य किसी
 *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत/*ग्राम पंचायत के लिए गठित मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है :-

या

कि मेरा नाम उक्त के अलावे निम्नलिखित *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत/*ग्राम पंचायत के
 वार्ड के लिए गठित मतदाता सूची में दर्ज है:

क्रमांक	जिला का नाम	*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत/ *ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5
—	—	२१-५१	—	—

चूँकि मेरा नाम इस *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत के लिए गठित मतदाता सूची के अलावे
 उक्त *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत/*ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, अतः मेरे द्वारा वहाँ से नाम
 विलोपन हेतु संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-३ में
 आपत्ति दिया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

मैं इस नगर निकाय के अलावे किसी अन्य नगर निकाय/ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम रहने पर
 भी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मतदाता के रूप में मताधिकार का उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान : मुजफ्फरपुर
 दिनांक - २३/११/२२

आशा देवी
 अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें